एनटीपीसी ने गौरव व उत्साह के साथ 39वां स्थापना दिवस मनाया

■ ध्वजारोहण, गार्ड ऑफ ऑनर और उपलब्धियों का उत्सव

अंता, (निसं)। देश की अग्रणी ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी की अंता परियोजना में 39वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास, गौरव और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर परियोजना प्रमुख अनिल बवेजा द्वारा एनटीपीसी ध्वज फहराया गया, वहीं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) द्वारा भव्य गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।

स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए परियोजना प्रमुख ने अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके परिजनों एवं सहयोगी अभिकरणों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी अंता विगत 39 वर्षों से राष्ट्र सेवा में समर्पित रहते हुए सतत एवं विश्वसनीय विद्युत उत्पादन कर रहा है, जो संगठन की प्रतिबद्धता और कर्मठता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी अंता ने सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं उत्पादन के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। परियोजना को दो बार प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं, जो इसकी उत्कृष्ट कार्यसंस्कृति को दर्शाते हैं। अपने संबोधन में बवेजा ने सुरक्षा को एनटीपीसी की मूल मान्यताओं का अभिन्न अंग बताते हुए कहा कि सभी गतिविधियों में सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए।

एनटीपीसी अन्ता में स्थापना दिवस मनाया गया।

उन्होंने सुरक्षित कार्य प्रणाली अपनाने पर बल देते हुए कहा कि इससे दुर्घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है और यह प्रत्येक कर्मचारी की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2025 परियोजना के लिए पूर्णतया दुर्घटनामुक्त एवं सुरक्षित रहा, जो एनटीपीसी की उच्च सुरक्षा संस्कृति और राष्ट्र के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

इस अवसर पर उन्होंने अंता सोलर पावर परियोजना की विशेष सराहना करते हुए बताया कि परियोजना ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक विद्युत उत्पादन कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसके लिए टीम अंता बधाई की पात्र है। कार्यक्रम के समापन पर परियोजना प्रमुख ने सभी कर्मचारियों, परिजनों, सहयोगी संस्थाओं, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया तथा भविष्य में भी इसी प्रकार सक्रिय सहयोग की अपेक्षा जताई। उन्होंने सभी के सुखी, समृद्ध एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी।

पूर्व मुख्यमंत्री राजे आज छबड़ा में

छबड़ा (निसं)। बालिका आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के नव निर्मित प्रथम तल का लोकार्पण एवं भामाशाह सम्मान समारोह रविवार को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया भाग लेगी।

प्रबंध समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार भार्गव एवं सचिव नरेंद्र सोनी ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता बारां-झालावाड़ सांसद दुष्यंतसिंह करेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में विद्या भारती के अखिल भारतीय मंत्री शिवप्रसाद व विधायक प्रतापसिंह सिंघवी शिरकत करेगें। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कथावाचक प्रियंका भारती भी मौजूद रहेगी।

खोया पाया

कुमार गौरव नागपाल पुत्र लोकनाथ नागपाल 3- k -1 तलवंडी कोटा का कब्जा पत्र डिक्लेरेशन इन्वेंटरी लिस्ट व निरस्तीकरण पत्र गुम हो गया है किसी को मिलने पर सूचित करें।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र रामलाल शर्मा, निवासी 1-ए 44-45 डी सी एम रोड, कन्सुवा, कोटा राजस्थान द्वारा अपने तीनो पुत्रो कमशः 1- सुनील शर्मा, 2-संदीप शर्मा, 3-विक्रांत शर्मा व पोत्र रोहित तासव शर्मा, व पुत्र वधुओं 1- श्रीमती मधु शर्मा, 2-श्रीमती गजमोतिन वेष्णव 3-पीयूषा शर्मा 1-ए 44-45 डी सी एम रोड, कन्सुवा, कोटा का व्यवहार एवं आचरण मेरे पक्षकार के प्रति सही व उचित नहीं होने के कारण मेरे पक्षकार के द्वारा उपरोक्त पुत्रो-पुत्र वधुओ एवं पोत्र को अपनी तमाम चल-अचल सम्पत्तियां कोटा अथवा देश के किसी भी क्षेत्र में हो उन सभी से उनको बेदखल करता हूं, उनका मेरी किसी भी चल-अचल सम्पत्ति से कोई लेना-देना नहीं रहा है इसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति उनसे समव्यवहार रखता है चल-अचल सम्पत्ति का लेन-देन करता है तो उसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होगें। मेरा पक्षकार किसी प्रकार से दायित्वाधीन नहीं होगा।

कोटा
दिनांक-17.1.26

भवदीय
मोहम्मद इकबाल एडवोकेट
मो.नं. 94134-72204

न्यायालय जिला न्यायाधीश, कोटा (राज.)
आवेदन पत्र संख्या : CM 07/2026

पप्पू लाल उर्फ पप्पू लाल यादव पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण यादव, आयु 50 वर्ष, निवासी 13, यादव मोहल्ला, टहला सुहाना, तहसील दीगोद, कोटा 325203 (राज.) .....प्रार्थी

विरुद्ध

1. दी कोटा सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा रामपुरा, कोटा, जरिये शाखा प्रबन्धक
2. हर खास व आम .....प्रतिपक्षीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 276
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम
वास्ते प्रोबेट प्रमाण पत्र जारी किये जाने
जनरल नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 276 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रोबेट चाहने बाबत् पेश किया है कि श्रीमती धापू बाई पत्नी श्री गोपीलाल जी निवासी मकान नं. 772, प्रताप चौक, लाड़पुरा, कोटा (राज.) का स्वर्गवास दिनांक 08.10.2017 को हो चुका है, इनके पति स्व. गोपीलाल जी का स्वर्गवास पूर्व में दिनांक 26.04.1985 को हो चुका था। स्व. श्रीमती धापू बाई के गोपीलाल से कोई संतान नहीं थी और दोनों की मृत्यु निसंतान ही हो गई थी तथा श्रीमती धापू बाई द्वारा अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति की रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 03.09.13 को प्रार्थी पप्पू लाल उर्फ पप्पू लाल यादव पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण यादव, निवासी 13, यादव मोहल्ला, टहला सुहाना, कोटा 325203 (राज.) के पक्ष में आलेखित की थी, श्रीमती धापू बाई द्वारा अपने जीवनकाल में दी कोटा सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक, रामपुरा, कोटा में जमा 9 (नौ) एफ.डी.आर. की कुल राशि 5,75,977/- रुपये प्राप्ति के सम्बन्ध में उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 276 के तहत प्रोबेट प्रमाण पत्र चाहा गया है, जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 05.03.2026 को प्रस्तुत होकर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा उक्त दिनांक गुजर जाने के बाद प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को प्रार्थी के हक में प्रोबेट प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावेगा। न्यायालय के आदेश से

मोहर
वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा (राज.)

युवक ने आत्महत्या की

कोटा, (निसं)। नयापुरा थाना इलाके में पारिवारिक विवाद के चलते घर में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाईड कर लिया। जानकारी के अनुसार युवक की पत्नी विवाद की शिकायत करने को लेकर थाने पहुंची तो पीछे से पति ने फांसी का फंदा लगा लिया। नयापुरा थानाधिकरी विनोद कुमार ने बताया कि इलाके के बृजराज कॉलोनी निवासी महावीर सिंह राजावत की पत्नी पारिवारिक विवाद के चलते शुक्रवार को पति की शिकायत करने थाने आई, जिस पर पुलिसकर्मीयों को महिला के घर भेजा गया, तो महावीर सिंह राजावत (32) फांसी के फंदे पर लटका हुआ था, जिसे उतारकर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। थानाधिकारी ने बताया कि मृतक मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनी में टेक्नीशियन के पद पर था, किसी बात को लेकर दोनों पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया था।

रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को स्थानीय हस्तशिल्प का स्वाद मिलेगा

■ एक स्टेशन एक उत्पाद' योजना से सुविधा बढ़ी

कोटा, (निसं)। रेल मंत्रालय की एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के अंतर्गत यात्रियों को यात्रा के दौरान स्थानीय हस्तशिल्प एवं उत्पादों से जोड़ने की दिशा में सोगरिया स्टेशन तथा न्यू कोटा (ढकनिया तलाब) स्टेशन पर अनुमोदित उत्पादों की प्रदर्शनी-सह-विक्रय व्यवस्था संचालित की जा रही है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि इन दोनों स्टेशनों पर पूर्व में आयोजित प्रदर्शनी-सह-विक्रय को यात्रियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

यात्रियों ने यात्रा के इंतजार के समय स्थानीय उत्पादों को देखने और खरीदने की सुविधा को उपयोगी बताया हैं, जिससे स्टेशन परिसर में समय का बेहतर उपयोग संभव हुआ है। इस योजना के अंतर्गत प्रदर्शनी-सह-विक्रय की अवधि 15 दिनों से लेकर 3 माह तक रखी जा सकती है। इसका उद्देश्य यात्रियों को स्टेशन पर ही विश्वसनीय एवं प्रमाणित स्थानीय उत्पाद उपलब्ध कराना है, साथ ही पारंपरिक कारीगरी को व्यापक पहचान दिलाना है।

प्रदर्शनी के संचालन के लिए केवल वही व्यक्ति या समूह पात्र होंगे, जो विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) अथवा विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा जारी कारीगर या बुनकर पहचान पत्र के धारक हों, अथवा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जैसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से नामांकित हों। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत स्वयं सहायता समूह, समाज के वंचित अथवा कमजोर वर्ग से जुड़े कारीगर, एमएसएमई मंत्रालय के उद्योग पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमी, गैर-सरकारी संगठनों से जुड़े शिल्पकार तथा राज्य सरकार या सामाजिक संगठनों से संबद्ध व्यक्तिगत कारीगर भी आवेदन के पात्र होंगे। हालांकि किसी भी प्रकार की दलाली या बिचौलिया व्यवस्था मान्य नहीं होगी। इच्छुक पात्र व्यक्ति या समूह दिनांक 21 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे तक अपने आवेदन स्टेशन प्रबंधक सोगरिया अथवा स्टेशन प्रबंधक न्यू कोटा (ढकनिया तलाब) के कार्यालय से प्राप्त कर वहीं जमा करा सकते हैं। रेलवे का मानना है कि यह पहल यात्रियों के लिए स्टेशन अनुभव को अधिक उपयोगी बनाएगी और स्थानीय उत्पादों को नई पहचान देगी।

पीड़िता से छेड़छाड़ कर धमकाने का आरोपी मामा गिरफ्तार

भवानीमंडी, (निसं)। डरा-धमकाकर पीड़िता के साथ अवैध सम्बन्ध बनाने की बदनीयत रखने वाले आरोपी मामा को भवानीमंडी ने पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि आपराधियों की धरपकड़ के लिए जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना भवानीमंडी विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की हरकत करने वाले आरोपी को गिरफतार करने में सफलता अर्जित की है।

मामले में पीड़िता ने एक लिखित शिकायत की पेश की थी कि अक्टूबर माह के मध्य में किसी ज्योतिष आदि की जानकारी दी व पूजा पाठ कर्मकाण्ड करवाने की बात कही। नवम्बर माह मे मध्य में फिर से मुझ पर यह कहकर दबाव बनाया कि इस तरह पूजा पाठ न करने पर परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 20 से 24 नवम्बर के मध्य मैं अध्ययनरत थी फिर से मुझे कहा गया कि तुम्हारी जन्म तारीख के अनुसार पितृ दोष है, जिस कारण तुम्हारे भाई की आकस्मिक मृत्यु होगी इसलिए इस दोष आदि का उपाय किया जाए। ज्योतिष से फोन काल के माध्यम से बात करवाई जिसने मुझे इस दोष का उपाय 18 महिने तक अवैध सम्बन्ध बनाना बताया।

इसके पश्चात आपके सारे पारिवारिक दोष समाप्त हो जाएंगे। नहीं मानने पर अपने छोटे भाई की आकास्मिक मृत्यु की बात कही व जिसका दोषी मुझे ठहराने की बात कही। इत्यादी पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया।

घटना की गंभीरता को देखते हुये जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार व श भागचंद मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झालावाड़ के निर्देशन एवं प्रेमकुमार आरपीएस वृताधिकारी वृत भवानीमंडी के निकटतम सुपरविजन में प्रमोद कुमार पु.नि. थानाधिकारी थाना भवानीमंडी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा आरोपी मामा को गिरफ्तार किया गया।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11/विक्रय/2026/653 दिनांक : 15.01.2026

नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा योजना श्रीनाथपुरम भूखण्ड संख्या 52-ए का नामहस्तांतरण क्रमांक 2436 दिनांक 10.06.2010 को श्री प्रवीण कुमार जैन पुत्र श्री शिखर चन्द जैन के नाम हस्तान्तरण किया गया था। श्री प्रवीण कुमार जैन द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जारी रजि. विक्रय पत्र दिनांक 19.03. 2024 को श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह एवं डॉ. श्रीमती गुलाब कँवर पत्नी डॉ. श्री सी. पी. सिंह को किया गया था। श्री बलदेव सिंह की मृत्यु दिनांक 10.02.2025 को हो गयी है। मृत्यु उपरान्त श्री बलदेव सिंह के विधिक वारिसान द्वारा अपने पिता के नाम भूखण्ड का 1/2 हिस्सा डॉ. श्रीमती गुलाब कँवर पत्नी डॉ.श्री सी.पी. सिंह के नाम करने हेतु प्रस्तुत रजिस्टर्ड रिलीज डीड (हक त्याग पत्र), मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आईडी इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर डॉ. श्रीमती गुलाब कँवर पत्नी डॉ. श्री सी. पी. सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 52-ए श्रीनाथपुरम अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 52-ए योजना श्रीनाथपुरम का नामहस्तान्तरण डॉ.श्रीमती गुलाब कँवर पत्नी डॉ. श्री सी. पी. सिंह के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

सीएमएचओ ने सकतपुरा यूपीएचसी का निरीक्षण किया

कोटा, (निसं)। सीएमएचओ डॉ. नरेंद्र नागर ने शनिवार को कुन्हाड़ी जिला अस्पताल के भवन निर्माण कार्यों और सकतपुरा यूपीएचसी निरीक्षण किया।

उनके साथ जिला अस्पताल कुन्हाड़ी के पीएमओ डॉ.सी.पी. कालवाड़ और बीसीएमएचओ सुल्तानपुर डॉ.राजेश सामर भी थे। अधिकारियों ने अस्पताल भवन के विभिन्न विंग्स का जायजा लिया और निर्माण एजेंसी को कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि आमजन को जल्द से जल्द अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सके। सीएमएचओ डॉ.नरेंद्र नागर ने स्पष्ट किया कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और फिनिशिंग में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने मौके पर मौजूद अभियंताओं को गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। डॉ.सी.पी. कलवार ने अस्पताल के भीतरी ले-आउट, वार्डों की व्यवस्था और भविष्य में मशीनों के इंस्टॉलेशन को लेकर तकनीकी सुझाव दिए, जिससे मरीजों को एक ही छत के नीचे सुगम इलाज मिल सकें। डॉ.राजेश सामर ने क्षेत्र की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप अस्पताल के विस्तार और जनहित में इसकी उपयोगिता पर चर्चा की।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-2943 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-12.01.26

आवास संख्या 8-ए-1 विज्ञान नगर विस्तार, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री रवि दत्त सनाढ्य पुत्र श्री विष्णु दत्त सनाढ्य को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री रवि दत्त सनाढ्य पुत्र श्री विष्णु दत्त सनाढ्य द्वारा दिनांक 07.01.2008 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री रवि दत्त सनाढ्य पुत्र श्री विष्णु दत्त सनाढ्य की मृत्यु दिनांक 06.12.2019 को हो चुकी हैं। श्री रवि दत्त सनाढ्य पुत्र श्री विष्णु दत्त सनाढ्य की मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री सुनील दत्त शर्मा पुत्र स्व. श्री रवि दत्त द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) आलेखित कर दिनांक 31.08.2025 को इनकी माता श्रीमती कैलाश शर्मा पत्नी स्व. श्री रवि दत्त के पक्ष में किया गया। श्रीमती कैलाश शर्मा पत्नी स्व. श्री रवि दत्त द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 8-ए-1 विज्ञान नगर विस्तार, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर श्रीमती कैलाश शर्मा पत्नी स्व. श्री रवि दत्त के पक्ष के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन श्रीमती कैलाश शर्मा पत्नी स्व. श्री रवि दत्त के पक्ष के नाम किये जाने न किसी भी व्यक्ति / पक्षकार की कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन कैलाश शर्मा पत्नी स्व. श्री रवि दत्त के पक्ष के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर पालिका छबडा जिला बारां

क्रमांक-न.पा.छ./2026/1785 प्रारूप-10 (नियम 6 (7) देखिए) दिनांक-15.01.2026

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगरपालिका छबडा जिला बारां
लोक सूचना

श्री जोगध्यान पुत्र श्री सेवाराम, श्रीमती संध्या पत्नी श्री धर्मेन्द्र एवं सोलानी पुत्री श्री धर्मेन्द्र जातियान पंजाबी निवासीगण छबडा तहसील छबडा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारो के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

तहसील व जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
छबडा जिला बाराँ	छबडा	277	रकबा 0.1265 है. (क्षेत्रफल 1265.00 व.मी.)

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क और राजस्थान अभिधृत अधिनियम 1956 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृत अधिकारों के निर्वापन पर कोई आपेक्ष है जो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपनी आपेक्ष / आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियम समय 15 दिवस के भीतर-भीतर किसी आपेक्ष के अभाव में यह समझा जाऐगा कि किसी को आपेक्ष नही है और तदानुसार पत्रावली का निस्तारण कर दिया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 15.01.2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी / अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका छबडा, जिला, बारॉं (राज.)

कांस्य पदक विजेता कृष्णा व्यास का सम्मान किया

कोटा में कांस्य पदक विजेता कृष्णा व्यास का सम्मान किया गया।

कोटा, (निसं)। कोटा शतरंज संघ कोटा की ओर से कृष्णा व्यास पुत्र सत्यनारायण व्यास को द 7 से 11 जनवरी फरीदाबाद, हरियाणा, में आयोजित 34वीं नेशनल क्लासिक और इक्विप्ड बेंच प्रेस चैंपियनशिप मे कांस्य पदक जितने के अवसर पर शतरंज संघ के अध्यक्ष प्रेम भाटिया एवं कोषाध्यक्ष ईश्वर शर्मा ने उनका स्वागत सम्मान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश खंडेलवाल एवं रजनी शर्मा उपस्थित थे।

कार्यालय नगर पालिका भवानीमण्डी
जिला झालावाड़ (राज.)

क्रमांकः-न.पा.भ./भूमि/2026/3166-3167 दिनांकः-16.01.2026

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदकों ने नगरपालिका भवानीमण्डी में सीमान्तर्गत पट्टा/पट्टा नवीनीकरण/लीज हस्तांतरण/निर्माण स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई है। उक्त संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद 7 योम कार्यालय नगरपालिका में उपस्थित होकर दो प्रतियों में प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

क्र.सं.	नाम/पिता, पति का नाम	स्थान	विवरण
1	श्री रमेशचन्द पोरवाल आ. श्री बिरधीलाल पोरवाल	वार्ड नं. 01 पचपहाड रोड डग वाला बिल्डिंग के सामने भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
2	श्री चन्द्रशेखर पोरवाल आ. श्री जगदीश पोरवाल, श्री मनीष पोरवाल आ. श्री जगदीश पोरवाल	एस.एम. पान भण्डार पचपहाड मेन रोड पर वार्ड नं. 01 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
3	श्री श्रीकृष्ण सोनी आ. श्री शिव नारायण सोनी	रामद्वारा के सामने पावर हाउस रोड भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
4	श्री अमीन उद्दीन आ. श्री चांद मोहम्मद मंसूरी	डग रोड वार्ड नं. 14 पचपहाड	निर्माण स्वीकृति
5	श्रीमती शारदा शर्मा पत्नी श्री मोहनलाल शर्मा	विद्युत कार्यालय के सामने लक्ष्मी नगर प्लाट नं. ई 18 का दक्षिणी भाग भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
6	श्री अब्दुल वहिद खान आ. श्री मोहम्मद इब्राहीम खान	सुभाष चौक पर वार्ड नं. 11 पचपहाड	निर्माण स्वीकृति
7	श्री असलम हुसैन आ. श्री शरीफ हुसैन	आदर्श नगर डेयरी स्कीम प्लाट नं. 05 का पश्चिमी भाग डग झालावाड़ रोड (SH19A) नून हॉस्पिटल के पास सुलिया	निर्माण स्वीकृति
8	श्री शेख कमरुद्दीन आ. श्री शेख फकरुद्दीन	रॉयल आवासीय कालोनी प्लाट नं. 02 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
9	श्री हेमन्त सिंह देवडा आ. श्री नाराण सिंह देवडा	प्लाट नं. 07 शान्ति श्री आवासीय कालोनी रामनगर तिराहे के पास भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
10	श्री बहादुर सिंह आ. श्री अभय सिंह	प्लाट नं. 18 धर्मदास नगर आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
11	श्रीमती पिंकी पत्नी श्री ईश्वर चन्द	प्लाट नं. 18 गौतम नगर आवासीय कालोनी भवानीमंडी	लीज हस्तान्तरण
12	श्री असलम हुसैन आ. श्री शरीफ हुसैन	आदर्श नगर डेयरी स्कीम प्लाट नं. 05 का पश्चिमी भाग डग झालावाड़ रोड सूलिया	लीज हस्तान्तरण
13	श्रीमती संतोष कंवर पत्नी श्री धीरज सिंह	प्लाट नं. 47 का पश्चिमी भाग कृष्णानगर माण्डवी	लीज हस्तान्तरण
14	श्रीमती रजीया बी पत्नी श्री शेख साबीर	बडा मोहल्ला वार्ड नं. 05 पचपहाड	लीज हस्तान्तरण
15	श्री गिरिराज आ. श्री सालगराम	कुम्हार मोहल्ला वार्ड नं. 08 पचपहाड	लीज हस्तान्तरण
16	श्री लालचंद आ. श्री सालगराम	कुम्हार मोहल्ला वार्ड नं. 08 पचपहाड	लीज हस्तान्तरण
17	श्री दिनेश कुमार आ. स्व. श्री मगनलाल, श्री किशोर कुमार आ. स्व. श्री मगनलाल	नवोदय विद्यालय रोड इन्दिरा कालोनी पचपहाड	लीज हस्तान्तरण
18	श्रीमती विद्या पत्नी श्री ओम शंकर	प्लाट नं. बी-53 अनन्त विहार आवासीय कालोनी भवानीमंडी	लीज हस्तान्तरण
19	श्रीमती सुष्मिता कंवर पत्नी श्री दुर्गा सिंह झाला	प्लाट नं. 45 का पूर्वी भाग व प्लाट नं. 46 कृष्णा नगर माण्डवी	लीज हस्तान्तरण
20	श्रीमती सुशीला पत्नी श्री दिनेश कुमार	एस.डी. नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 53 रामनगर के पीछे वार्ड नं. 22 नई विकसित कालोनी में भवानीमंडी	लीज हस्तान्तरण
21	श्री चन्द्रप्रकाश जादम पत्नी श्री मांगीलाल, श्री कमलेश कुमार जादम आ. श्री मांगीलाल	प्लाट नं. 44 अहिंसा नगर आवासीय कालोनी भवानीमंडी	लीज हस्तान्तरण
22	श्री राकेश कुमार आ. श्री रामलाल	प्लाट नं. 130 शान्ति श्री आवासीय कालोनी भवानीमंडी	लीज हस्तान्तरण
23	श्री राजेश कुमार तिवारी आ. श्री आनन्दीलाल	प्लाट नं. 08 का पश्चिमी भाग व प्लाट नं. 09 पुरानी सब्जीमण्डी वार्ड नं. 13 भवानीमंडी	लीज हस्तान्तरण
24	श्रीमती अलका जैन पत्नी श्री संजय जैन	प्लाट नं. डी-7 व डी-6 का पश्चिमी भाग अनन्त विहार आवासीय कालोनी भवानीमंडी	लीज हस्तान्तरण
25	सुश्री अरहमा पुत्री श्री तबरेज खान	वार्ड नं. 09 डग बायपास रोड पचपहाड	लीज हस्तान्तरण
26	श्रीमती आशा मेहता पत्नी श्री आशुतोष मेहता	प्लाट नं. 34 राधे गोविन्द धाम आवासीय कालोनी भवानीमंडी	लीज हस्तान्तरण
27	श्री राजेश प्रसाद आ. श्री सुदर्शन प्रसाद	प्लाट नं. 40 बजरंगस नगर-2 आवासीय कालोनी गंगपुरा	आवासीय कालोनी
28	श्री थोमस छत्रिया आ. श्री दामा छत्रिया	मगन भाई मार्केट आवासीय कालोनी प्लाट नं. 7 ए का दक्षिणी भाग पुराना गाडी अड्डा भवानीमंडी	आवासीय कालोनी
29	श्रीमती रंजीता पाटीदार पत्नी श्री संजय कुमार पाटीदार	साक्षी विहार आवासीय कालोनी प्लाट नं. 08 (प्लाट नं. 08 पुराने नक्शे व रजिस्ट्री अनुसार) न्यू बस स्टेण्ड के पास नई विकसित कालोनी भवानीमंडी	आवासीय कालोनी
30	श्री रामलाल आ. श्री मांगीलाल	प्लाट नं. 87 बजरंग नगर आवासीय कालोनी गंगपुरा	आवासीय कालोनी
31	श्री दामोदर प्रसाद कचौलिया आ. स्व. श्री चिरंजीवलाल, श्री विनोद कचौलिया आ. स्व. श्री रमाबल्लभ कचौलिया, श्री दिपक कचौलिया आ. स्व. श्री रामस्वरुप कचौलिया, श्री कृष्णकुमार कचौलिया आ. स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद कचौलिया, श्री संजय कचौलिया आ. श्री राजेन्द्र कचौलिया, श्री प्रवीण कचौलिया आ. श्री नरेन्द्र प्रसाद कचौलिया	मगन भाई मार्केट आवासीय कालोनी प्लाट नं. 31 पुराना गाडी अड्डा भवानीमंडी	आवासीय कालोनी
32	श्री दामोदर प्रसाद कचौलिया आ. स्व. श्री चिरंजीवलाल, श्री विनोद कचौलिया आ. स्व. श्री रमाबल्लभ कचौलिया, श्री दिपक कचौलिया आ. स्व. श्री रामस्वरुप कचौलिया, श्री कृष्णकुमार कचौलिया आ. स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद कचौलिया, श्री संजय कचौलिया आ. श्री राजेन्द्र कचौलिया, श्री प्रवीण कचौलिया आ. श्री नरेन्द्र प्रसाद कचौलिया	मगन भाई मार्केट आवासीय कालोनी प्लाट नं. 39 पुराना गाडी अड्डा भवानीमंडी	आवासीय कालोनी
33	श्री असलम हुसैन आ. श्री शरीफ हुसैन	आदर्श नगर डेयरी स्कीम प्लाट नं. 05 का पश्चिमी भाग डग झालावाड़ रोड (SH19A) नून हॉस्पिटल के पास सुलिया	उपविभाजन
34	श्री राजेश कुमार तिवारी आ. श्री आनन्दीलाल	पुरानी सब्जीमण्डी पलाफट नं. 09 व 08 का पश्चिमी भाग व